न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 94/2014
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कालूराम आत्मज श्री किशनाराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी–
   1.1. श्रीमती चुन्नी देवी धर्मपत्नी श्री कालूराम, नायक,
   1.2. राजेन्द्र प्रसाद आत्मज श्री कालूराम, नायक,
   1.3. राजकुमार आत्मज स्व. श्री भगवानदास आत्मज श्री कालूराम, नायक, निवासीयान दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   1.4. रमेशचन्द्र,
   1.5. चन्द्रभान,
   1.6. श्रीमती रेशमी आत्मजन श्री कालूराम, नायक,
   1.7. रेशमी पुत्री कालूराम नायक,
   1.8. श्रीमती मीरां धर्मपत्नी स्व. श्री वासुदेव आत्मज श्री कालूराम,
   1.9. सोनिया आत्मज श्री वासुदेव आत्मज श्री कालूराम,
   1.10. पूनम रानी
   1.11. रजनी बाई,
   1.12. मनीष कुमार एवं
   1.13. कन्हैयालाल आत्मजन श्री वासुदेव आत्मज श्री कालूराम, नायक, निवासीयान दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री परमाराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी–
   2.1. श्रीमती बादु देवी धर्मपत्नी
   2.2. ओमप्रकाश,
   2.3. जगनलाल,
   2.4. केशवलाल,
   2.5. सुगनलाल,
   2.6. रामलाल,
   2.7. मीरां बाई,
   2.8. गुड्डी बाई,
   2.9. लक्ष्मी बाई
   2.10. डाली बाई आत्मजन श्री परमाराम, नायक, निवासीयान दुल्लापुरकेरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. उदाराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी–
   3.1. श्रीमती बख्तु बाई धर्मपत्नी,
   3.2. ओमप्रकाश,
   3.3. कुशालचन्द,
   3.4. मोहनलाल,
   3.5. लक्ष्मण,
   3.6. भगवानदास,
   3.7. जस्सु बाई आत्मजन श्री उदाराम, नायक, [illegible]पुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

ब ना म

1. हेमा देवी,
2. श्यामलाल,
3. हंसराज,
4. मामचन्द,

5. किशोर कुमार,
6. तुलछाराम एवं
7. जगदीश आत्मजन श्री गणेशाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. अणची उर्फ रामप्यारी धर्मपत्नी श्री वीरभान, नायक, दुल्लापुरकेरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. कैलाशचन्द्र,
10. रामप्रकाश,
11. उमेश कुमार,
12. सुशीला देवी,
13. बाली भाटी
14. शान्ति देवी
15. जशोदा देवी,
16. रामेश्वरी देवी,
17. माया देवी,
18. उर्मिला देवी आत्मजन श्री वीरभान, नायक, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। **....प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री अंग्रेजसिंह वाल्ला (वादी)
श्री सतपालसिंह (प्रतिवादी–2, 6)

दिनांकः– 31 अक्टूबर, 2025

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/75 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 से 25(6.200), मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 से 13 के 3.162 हैक्टेयर जिसमें 0.050 हैक्टेयर कृषि भूमि व खाल के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार हैं. पक्षकारान के मध्य परस्पर प्रश्नगत कृषि भूमि का मौखिक रूप से विभाजन किया गया जिसके अनुसार मौका पर वादी संख्या 1(1.1 से 1.12) मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1, 10, 11, 12(4.00), किला नम्बर 13(0.10) बीघा कुल 4.10 बीघा एवं वादी संख्या 2(2.1 से 2.10) मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 2 से 5(4.00) बीघा एवं किला नम्बर 6(0.10) कुल 4.10 बीघा, वादी संख्या 3(3.1 से 3.7) मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 16 से 19, किला नम्बर 21 से 25 में 8.10 बीघा तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अपने अपने कब्जा उनके खाता के अनुसार प्राप्त हुई. वादीगण के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का इस कृषि भूमि में 0.962 हैक्टेयर हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 2.151 हैक्टेयर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 0.951 हैक्टेयर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 18 का 1.036 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिस पर वे काबिज हैं. इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौखिक विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्सा पर काबिज हैं उनमें किसी भी प्रकार का विवाद नही है. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मौका पर वादीगण के हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार विभाजन कर राजस्व अभिलेखों में [illegible] टालमटोल करते आ रहे हैं तथा दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को कतई इन्कारी [illegible] वादहेतुक वादीगण को उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण के कब्जा के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/75 में वादी संख्या 1(1.1 से 1.12) मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1, 10, 11, 12(4.00), किला नम्बर 13(0.10) बीघा कुल 4.10 बीघा एवं वादी संख्या 2(2.1 से 2.10) मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 2 से 5(4.00) बीघा एवं किला नम्बर 6(0.10) कुल 4.10 बीघा, वादी संख्या 3(3.1 से 3.7) मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 16 से 19, किला नम्बर 21 से 25 में 8.10 बीघा कृषि भूमि के विभाजन की डिक्री एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा के अनुसार उनके जवाब वादपत्र आने पर विधि अनुसार उनके हिस्सा के अनुसार विभाजन की डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072,

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

श्री परमानन्द का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 28 जनवरी, 2011, श्री उदाराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 20 अगस्त, 1996 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5, 7, 8, 11 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी दिनांक 27 मई, 2015 को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामताः प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5, 7, 8, 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 2 व 6 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 9, 12 से 18 की तलबी हेतु जारी पंजीबद्व सम्मन की पावती प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामताः दिनांक 13 अगस्त, 2015 को प्रतिवादी संख्या 9, 12 से 18 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 19 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 0.050 हैक्टेयर खाल है तथा 1/3 हिस्सा में वादी संख्या 1 को 4.10 बीघा भूमि प्राप्त नहीं हो सकती जोकि प्रतिवादी संख्या 1 को केवल 4.06 बीघा ही भूमि प्राप्त है. किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक में 0.15 बीघा भूमि वादी संख्या 1 को प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के मध्य कोई विभाजन नहीं किया गया है क्योंकि खाल की कृषि भमि 0.04 बीघा को समस्त हिस्सेदारान में से कम किया जाकर ही विभाजन किया जाना है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 19 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राज्यहित को मध्यनजर रखते हुऐ वाद मे निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

पक्षकारा के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 5 डी. बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/57 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 से 25(6.200) हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 से 13 कुल 3.162 हैक्टेयर जिसमें 0.0500 हैक्टेयर खाल के पक्षकारान सहकाश्तकार हैं?
   ...वादीगण

2. क्या चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/75 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 से 25 में 6.200 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 से 13 के 3.162 हैक्टेयर जिसमें 0.050 हैक्टेयर खाल सम्मिलित है, के पारिवारिक एवं मौखिक विभाजन के परिणामताः वादी संख्या 1 (1/1 से 1/12) मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1, 10, 11, 12 एवं किला नम्बर 13(0.10) कुल 4.10 बीघा, वादी संख्या 2(2/1 से 2/10) मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 2 से 5, किला नम्बर 6(0.10) कुल 4.10 बीघा वादी संख्या 3(3/1 से 3/7) मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 16 से 19, किला नम्बर 21 से 25 कुल 8.10 बीघा कृषि भूमि पर काबिज हैं?
   ...वादीगण

3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में पारिवरिक मौखिक विभाजन के अनुसार वादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी हैं?
   ...वादीगण

4. क्या प्रश्नगत कुल 3.162 हैक्टेयर जिसमें 0.050 हैक्टेयर खाल सम्मिलित है, के 1/3 हिस्सा अनुसार वादी संख्या 1 कुल 4.06 बीघा [illegible] का अधिकारी है? तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का पारिवारिक स्तर पर मौखिक [illegible] किया गया है?
   ...प्रतिवादी– 2 से 6

5. अनुतोष?

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2016 अन्तर्गत 22 नियम 3 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया। जसके अनुसार विचाराधीन वाद में वादी संख्या 1 श्री कालूराम की दिनांक 24 अक्तूबर, 2015 को मृत्यु हो गयी है आवेदकगण

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

पूर्णचन्द, श्री कुलदीप एवं श्री गिरधारीलाल द्वारा अपनी जिरह में विभाजन के अनुसार पक्षकारान का कब्जा होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। तथा वादीगण पारिवारिक विभाजन के अनुसार ही प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4– क्या प्रश्नगत कुल 3.162 हैक्टेयर जिसमें 0.050 हैक्टेयर खाल सम्मिलित है, के 1/3 हिस्सा अनुसार वादी संख्या 1 कुल 4.06 बीघा प्राप्त करने का अधिकारी है? तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का पारिवारिक स्तर पर मौखिक विभाजन नहीं किया गया है? **....प्रतिवादी– 2 से 6**

विवाद्यक संख्या 4 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 से 6 पर है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार के अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं जिसके परिणामतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों की उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण पारिवारिक विभाजन के परिणामतः प्राप्त कृषि भूमि एवं कब्जा के आधार पर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

दिनांक 16 अगस्त, 2016 को वादीगण के निवेदन पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 3007 दिनांक 25.04.2017 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिस पर वादीगण द्वारा आपत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को धारा 152 सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित आदेश एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 2063 दिनांक 02.04.2018 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिस पर वादीगण द्वारा नो ऑब्जेक्शन टिप्पणी अंकित की गई तथा तसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/75 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 से 25 (6.200), मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 से 13 के 3.162 हैक्टे0 जिसमें 0.050 हैक्टे0 खाला कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता हैः–

चुन्नीदेवी पत्नी कालूराम, भगवान दास, वासुदेव, रमेशचन्द्र, राजेन्द्र प्रसाद, पिसरान कालूराम रेशमी देवी पुत्री कालूराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 14 के किला नं0 1, 10, 11, 12/1.012, 13/1 में 0.126 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.138 हैक्टे0 बहिस्सा बराबर।

परमाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक दुल्लापुरके[illegible] व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 14 के किला नं0 2 ता 4/0.759, 5/0.[illegible]063 हैक्टे0 तथा मु. न. 7 के किला नं0 21/0.76 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.138 है[illegible]

हेमा देवी पत्नी गणेशाराम, श्यामलाल, हंसराज, [illegible], किशोर कुमार, तुलछाराम पिसरान गणेशाराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जि[illegible] श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 14 के किला नं0 5/0.013, 6 ता 8/0.759, 9/0.190 हैक्टे0 इस प्रकार कुल 0.962 हैक्टे0, (नहरी 0.937 हैक्टे0 + खाला 0.025 हैक्टे0)।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

जगदीश पुत्र गणेशाराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 7 के किला नं0 1 ता 8 सालम 9/1/0.127 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 2.151 हैक्टे0।

बख्तु बाई पत्नी उदाराम 0.848 हैक्टे0, **बख्तु बाई पत्नी उदाराम, कुशालचन्द, मोहनलाल, लक्ष्मण, ओमप्रकाश, भगवानदास, जस्सु बाई पिसरान उदाराम** जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 7 के किला नं0 9/2/0.126, 10 ता 15/1/0.581, 20/0.253, 21/0.089 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.986 हैक्टे0।

अणची उर्फ रामप्यारी पत्नी वीरभान 0.951 हैक्टे0, **कैलाशचन्द्र, रामप्रकाश, उमेश कुमार पिसरान वीरभान** तथा **सुशीला देवी, बाली भाटी, शान्ति देवी, जशोदा देवी, रामेशवरी देवी, माया देवी, उर्मिला देवी पुत्रीयां वीरभान** जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 7 के किला नं0 16 ता 19/1.012, 21/0.063, 22 से 25/प्रत्येक 0.228 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.987 हैक्टे0।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/ पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 94/2014
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कालूराम आत्मज श्री किशनाराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी–
   - 1.1. श्रीमती चुन्नी देवी धर्मपत्नी श्री कालूराम, नायक,
   - 1.2. राजेन्द्र प्रसाद आत्मज श्री कालूराम, नायक,
   - 1.3. राजकुमार आत्मज स्व. श्री भगवानदास आत्मज श्री कालूराम, नायक, निवासीयान दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   - 1.4. रमेशचन्द्र,
   - 1.5. चन्द्रभान,
   - 1.6. श्रीमती रेशमी आत्मजन श्री कालूराम, नायक,
   - 1.7. रेशमी पुत्री कालूराम नायक,
   - 1.8. श्रीमती मीरां धर्मपत्नी स्व. श्री वासुदेव आत्मज श्री कालूराम,
   - 1.9. सोनिया आत्मज श्री वासुदेव आत्मज श्री कालूराम,
   - 1.10. पूनम रानी
   - 1.11. रजनी बाई,
   - 1.12. मनीष कुमार एवं
   - 1.13. कन्हैयालाल आत्मजन श्री वासुदेव आत्मज श्री कालूराम, नायक, निवासीयान दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री परमाराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी–
   - 2.1. श्रीमती बादु देवी धर्मपत्नी
   - 2.2. ओमप्रकाश,
   - 2.3. जगनलाल,
   - 2.4. केशवलाल,
   - 2.5. सुगनलाल,
   - 2.6. रामलाल,
   - 2.7. मीरां बाई,
   - 2.8. गुड्डी बाई,
   - 2.9. लक्ष्मी बाई
   - 2.10. डाली बाई आत्मजन श्री परमाराम, नायक, निवासीयान दुल्लापुरकेरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. उदाराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी–
   - 3.1. श्रीमती बख्तु बाई धर्मपत्नी,
   - 3.2. ओमप्रकाश,
   - 3.3. कुशालचन्द,
   - 3.4. मोहनलाल,
   - 3.5. लक्ष्मण,
   - 3.6. भगवानदास,
   - 3.7. जस्सु बाई आत्मजन श्री उदाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

ब ना म

1. हेमा देवी,

2. श्यामलाल,
3. हंसराज,
4. मामचन्द,
5. किशोर कुमार,
6. तुलछाराम एवं
7. जगदीश आत्मजन श्री गणेशाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. अणची उर्फ रामप्यारी धर्मपत्नी श्री वीरभान, नायक, दुल्लापुरकेरी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. कैलाशचन्द्र,
10. रामप्रकाश,
11. उमेश कुमार,
12. सुशीला देवी,
13. बाली भाटी
14. शान्ति देवी
15. जशोदा देवी,
16. रामेश्वरी देवी,
17. माया देवी,
18. उर्मिला देवी आत्मजन श्री वीरभान, नायक, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। ....**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री अंग्रेजसिंह वाल्ला (वादी)
श्री सतपालसिंह (प्रतिवादी–2, 6)

दिनांकः– 13 नवम्बर, 2025

वादपत्र संख्या 94/2014
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री अंग्रेजसिंह वाल्ला एवं श्री सतपालसिंह प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्तांव चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/75 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 से 25 (6.200), मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 से 13 के 3.162 हैक्टे0 जिसमें 0.050 हैक्टे0 खाला कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है:–

चुन्नीदेवी पत्नी कालूराम, भगवान दास, वासुदेव, रमेशचन्द्र, राजेन्द्र प्रसाद पिसरान कालूराम रेशमी देवी पुत्री कालूराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 14 के किला नं0 1, 10, 11, 12/1.012, 13/1 में 0.126 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.138 हैक्टे0 बहिस्सा बराबर।

परमाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 14 के किला नं0 2 ता 4/0.759, [illegible]/0.2[illegible], 9/0.063 हैक्टे0 तथा मु. न. 7 के किला नं0 21/0.76 हैक्टे0, इस प्रकार कुल [illegible]

हेमा देवी पत्नी गणेशाराम, श्यामलाल, हंसराज, मामचन्द, किशोर कुमार, तुलछाराम पिसरान गणेशाराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 14 के किला नं0 5/0.013, 6 ता 8/0.759, 9/0.190 हैंक्टे0 इस प्रकार कुल 0.962 हैक्टे0, (नहरी 0.937 हैक्टे0 + खाला 0.025 हैक्टे0)।

जगदीश पुत्र गणेशाराम जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 7 के किला नं0 1 ता 8 सालम 9/1/0.127 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 2.151 हैक्टे0।

सहायक कलक्टर एवं ... (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

बख्तु बाई पत्नी उदाराम 0.848 हैक्टे0, **बख्तु बाई पत्नी उदाराम, कुशालचन्द, मोहनलाल, लक्ष्मण, ओमप्रकाश, भगवानदास, जस्सु बाई पिसरान उदाराम** जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 7 के किला नं0 9/2/0.126, 10 ता 15/1/0.581, 20/0.253, 21/0.089 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.986 हैक्टे0।

अणची उर्फ रामप्यारी पत्नी वीरभान 0.951 हैक्टे0, **कैलाशचन्द्र, रामप्रकाश, उमेश कुमार पिसरान वीरभान** तथा **सुशीला देवी, बाली भाटी, शान्ति देवी, जशोदा देवी, रामेशवरी देवी, माया देवी, उर्मिला देवी पुत्रीयां वीरभान** जाति नायक दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर सा. देह खातेदार को मु.न. 7 के किला नं0 16 ता 19/1.012, 21/0.063, 22 से 25/प्रत्येक 0.228 हैक्टे0, इस प्रकार कुल 1.987 हैक्टे0। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये शून्य.....वास्ते... शून्य .....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज.. शून्य .दर वार्षिक शून्य .आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13 नवम्बर, 2025 को जारी की गयी.

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर